न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Ud-D- 59/2014 श्री लक्ष्मीलाल बनाम **किशनसिंह**

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24–07–2018	वकील अपीलान्ट व जी.ए. उपस्थित। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद जो कि धारा–188 के तहत पेश किया गया पर स्थाई निषेधाज्ञा इसलिए चाही कि उक्त भूमि पर उसका पुराना कब्जा है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट के आदेश–7, नियम 11 के आवेदन पर भूमि पर वादी अपीलान्ट का कोई स्वत्व नहीं होने से उसे स्थाई निषेधाज्ञा का अधिकारी नहीं मानकर दावा खारिज कर दिया था। प्रकरण में यह सुस्पष्ट स्थिति है कि विवादित आराजी संख्या 452 में रकबा 5 बीघा ग्राम बिठोली राजस्व रेकार्ड में खनन हेतु आरक्षित है। खनन हेतु आरक्षित भूमि में कोई खातेदारी नहीं दी जा सकती। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को उक्त भूमि में लीज भी आवंटित हो चुकी है। अपीलान्ट वादी को उक्त भूमि जो कि स्पष्टतया राजकीय भूमि है, पर आवंटन या नियमन पर ही स्वत्व प्राप्त होता है। अपीलान्ट वादी बिना स्वत्व न तो धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व न ही 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बिलानाम भूमि पर बिना स्वत्व व काश्तकारी अधिनियमों के किन प्रावधानों के तहत स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है, यह स्पष्ट नहीं है। स्थाई निषेधाज्ञा चाहे धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में चाही गई हो या 92–ए के तहत अपीलान्ट को यह प्रमाणित करना था कि या तो वह खातेदार है या काश्तकारी अधिनियम के तहत उसके काश्तकारी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। अपीलान्ट धारा–88 का वाद लम्बित होने से उसे वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता। उपरोक्तानुसार वादी का वाद स्पष्टतया आदेश–7, नियम–11 जाब्ता दीवानी के तहत विधि विरूद्ध व विधिक वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने से खारिज किये जाने में	

	अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–11–2014 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24–07–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(एल.एन. मंत्री)** **भू–प्रबन्ध अधिकारी** **एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी** **उदयपुर**	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Ud-D- 59/2014 श्री लक्ष्मीलाल बनाम **किशनसिंह**

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपुा स्कूल के सामने तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0) अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत .... सहायक कलक्टर मु0...... .... उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........27............. माह ....02........... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 15..... माह ......06.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........15..... माह ...06........ 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा....... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गांगा पिता देवा डांगी निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य –2	**बनाम**	श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य–6

अपील मूत नं0 3 / 2015 बनाराजगी डिगरी अदालत ....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ......उदयपुर .... मुकाम मुर्ख्खे...........08.............. माह ....07........... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 25..... माह ......05......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि .... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46 / 2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0. 800 हैक्टर लिपिकीय / टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........14..... माह ...06....... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील .... 6. स्टाम्प वकालत नामा....... 7. इजराय हुक्मनामा .... 8. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।